

**कार्यालय कलेक्टर जिला – कोरबा (छ.ग.) एवं पदेन उप सचिव,
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

क. / ७९०४ -:: प्रारंभिक अधिसूचना ::-
भू-अर्जन / 201910050400011 अ 82/2023 कोरबा, दिनांक ०२/०६/२०

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (7) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यवितयों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन एतद् द्वारा अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित प्राधिकारी को उवत भूमि के संबंध में उवत धारा 12 के अंतर्गत दी गई शवितयों का प्रयोग वरने के लिए प्राधिकृत करता है :–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.न.	ख.नं.	क्षेत्रफल (हे.में)		
1	2	3	4	5	6	7
कोरबा	बरपाली	पकरिया	16	167/1	0.086	बरपाली-तुमान मार्ग के एकरेखण अंतर्गत अर्जित भूमि
				212/1	0.024	
				213/1	0.016	
				228/1	0.085	
				167/2	0.105	
				228/2	0.085	
				167/3	0.080	
				213/3	0.012	
				228/3	0.020	
				238/6	0.008	
				168/2	0.045	
				169	0.020	
				170/1	0.065	
				170/2	0.028	
				171/4	0.009	
				174	0.008	
				176	0.076	
				211	0.216	
				214	0.014	
				213/4	0.012	
				238/7	0.024	
				236/1क/1	0.121	
				236/1क/2	0.009	
				236/1ग/1	0.010	
				236/1ग/2	0.012	
				236/1ख	0.008	
				236/2	0.036	
				227/1	0.014	
				227/2	0.010	
				235/3	0.004	
				235/4	0.019	
				238/11	0.006	
				238/12	0.003	
				238/13	0.003	
योग				34	1.292	

2. यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में से कोई भी हितवद्व व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल एवं उपयुक्तता, लोक प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित प्रयोजन के औचित्य तथा सामाजिक समाधात निर्धारण के निष्कर्षों के बारे में अपना दावा/आपत्ति लिखित अधिनियम, 2013 की धारा 15 की में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने द्वारा अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम, 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

३. भूमि का नामांकन (नियन्त्रण) का निरीक्षण अनुदिवासीय अधिकारी (राजस्व) कोर्ट के कार्यालय में किया जा सकता है।
४. प्रस्तावित भू-प्रयोग की किसी भी उपलब्धि विविध का विवरण निहित नहीं है।
५. प्रस्तावित उल्लेखन के भू-प्रयोग के लिए कराये गये सामाजिक समाज के अनुसार भूमि का कर्तव्य अधिक दिक्षित्य के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि प्रयोग से सामाजिक समाज की गुणवत्ता में सामाजिक गतिशीलता बढ़ना चाहा जाता है।
६. प्रस्तावित भू-प्रयोग के लिए अधिसिक्षक २०१३ की घटा ५ के तहत अनुदिवासीय अधिकारी (राजस्व) कोर्ट किया जाना के लक्ष्यों और लक्ष्योंविवरण के वायसक नियुक्त किया जाता है।

भूसीमान्तर के लायक जाता है तथा आदेशानुसार

अधिकारी द्वारा द्वारा
(अधिकारी द्वारा)

कार्यालय

राजस्व कोर्ट

एवं वर्दन एवं अधिकारी

पृष्ठ १०

राजस्व एवं अन्तर्राज्यीय विभाग

अनुदिवासीय अधिकारी (र.)
एवं भू-प्रयोग अधिकारी
शौभिक, विभाग-कोर्ट